राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 274/2024 प्रा0पत्र

अनवान

लीला देवी पत्नि हरदयाल सिंह जाति रावत निवासी धर्मेशपुरी रोड़ भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द।

........................प्रार्थीया

बनाम

01. कमला देवी पत्नि मीठुसिंह जाति रावत निवासी आम्बा का बाड़िया
02. करम सिंह पुत्र पीथासिंह जाति रावत निवासी सड़क का बाड़िया
03. गंगा देवी पत्नि दोलतसिंह जाति रावत निवासी भागावड़, डुंगाजी का गांव
04. गिरधारी सिंह पुत्र तेजसिंह जाति रावत निवासी कुण्डिया, कुकड़ा
05. देवी सिंह पुत्र पीथासिंह जाति रावत निवासी सड़क का बाड़िया नंदावट
06. मिठुसिंह पुत्र राजूसिंह जाति रावत निवासी आम्बा का बाड़िया नंदावट
07. रणजीतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति रावत निवासी सडक का बाड़िया नंदावट
08. कमला देवी पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति रावत निवासी वाला, नन्दावट
09. सुशीला देवी पत्नि बसन्तसिंह जाति रावत निवासी बिच्छुदड़ा, बरार
    समस्त तहसील भीम जिला राजसमंद।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम

..................अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगत सिंह चौहान
02. अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णयः— दिनांक 17/2/2026

01. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजा नंदावट पटवार क्षेत्र टोगी तहसील भीम जिला राजसमन्द में वर्णित आराजियात के खाता संख्या 35 आराजी खसरा संख्या 1825 रकबा 0.1538 है0 है। उक्त वर्णित आराजियात में 0.1538 है0 भूमि में से 1/20 प्रार्थीया का हिस्सा 0.0076 है0 भूमि का हिस्सा आया हुआ है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 से 09 काबिज होकर उसका उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे है तथा पद संख्या 01 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 का 1/15 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 02 का 1/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 03 का 1/15

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द

हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 04 का 1/10 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 05 का 1/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 06 का 1/10 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 07 का 1/10 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 08 का 1/20 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 09 का 1/15 हिस्सा होकर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण उस पर काबिज होकर काश्त करते कराते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थीया जमीन रिकॉर्ड में अलग–अलग नही है जिस कारण से प्रार्थीया अपने हिस्से को उन्नत व विकसित नही कर पा रही है व मौके पर हिस्से का विवाद रहता है इससे प्रार्थीया अपने आने वाले हिस्से का पृथक से बंटवारा करवाना चाहती है। अप्रार्थी संख्या 01 से 09 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजियात पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही करें तथा उक्त आराजी को किसी को भी विक्रय रहन बख्शीस नही करे न ही अन्य से करावें एवं किसी भी प्रकार से बेचान रहन बख्शीस पंजीकृत नही करावें ना ही प्रार्थीया के हिस्से वाली जमीन में किसी भी प्रकार से कोई निर्माण करे व करावें।

02. प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई दिनांक 17.11.2025 को अप्रार्थीगण की तलबी प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.02.2026 को अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थीया द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु पुनः दोहराए गए।

03. हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का गहन अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वादग्रस्त भूमि बाबत विभाजन मूल दावे के निर्णय में तय होता है। **प्रथम दृष्टया** चूंकि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी उक्त आराजी में अपने निर्धारित हक हिस्से पर कब्जा काश्त है। अतः मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष का नही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का ना होने से **अपूर्णनीय क्षति** तथा **सुविधा संतुलन** के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष के नहीं है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरा द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 17/02/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner